

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(4)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 4 MAY 2017


:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र०सं०	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल	जालोर	भीनमाल
2.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचोर	जालोर	सांचोर

नोट:-उक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/2017/ 736

Dated : 06/06/2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
- 2.District and Session Judge, Jalore
- 3.Chief Judicial Magistrate, Jalore.
- 4.Civil Judge & Judicial Magistrate, Bhinmal / Sanchore.
- 5.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)